

- 1- संस्था बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढता से पालन करेगी।
- 2- बोर्ड / शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन नहीं करेगी।
- 3- संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन / फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल / इम्प्रसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
- 5- बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों / छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 6- संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- 7- मैं बोर्ड द्वारा लगाये गए सभी नियमों का पालन करूंगा / करूंगी। संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना संस्था में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। इस आवेदन-पत्र में दर्शाये गये उपरोक्त निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, इन्हे मैं स्वीकार करता / करती हूँ।

प्राचार्य का पूरा नाम :-
दूरभाष नं० / मोबाईल नं०:-

हस्ताक्षर(प्राचार्य)-
संस्था की मोहर-

UNDERTAKING

I, undertake that the College/ Institution will strictly be abide by the rules and regulations/ instructions of the NCTE/Education Department/Board, extend its full co-operation in the conduct of examination, provide all information/record etc. for inspection as and when required by the Board/ Education Department/NCTE and in the event of its failure to comply with the instructions/ rules & regulations, the Board shall have the power to take suitable action against the College /Institution including disaffiliation of the College/ Institution.

Date :-

Principal
Seal

नोट: 1-सम्बद्धता हेतु शुल्क का बैंक ड्राफ्ट सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पक्ष में बनवाकर भेजा जाये।

2-सम्बद्धता आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर सत्यापित करके सहायक सचिव (सम्बद्धता), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाए।